



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 90 राँची, मंगलवार, 20 पौष, 1938 (श०)  
10 जनवरी, 2017 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

संकल्प

31 दिसम्बर, 2016

**विषय:-** राँची शहर में "बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क" निर्माण हेतु कुल रु. 106,90,05,200/- लागत की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या - 5/न०वि०/वृ०श०परि०-53/2016-7155--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है ।

2. उक्त क्रम में झारखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के साथ शहरी क्षेत्र में सांस्कृतिक स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जा रहा है । इस क्रम में न केवल क्षेत्रीय लोगों के मनोरंजन हेतु बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु राँची शहर के पुराने जेल परिसर को बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है । इस जेल परिसर का क्षेत्रफल 36.9 एकड़ है। भगवान बिरसा मुण्डा की स्मृति में प्रस्तावित पार्क को भगवान बिरसा मुण्डा की जीवनी एवं झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन हेतु विकसित करने की योजना है ।

3. इस योजना अंतर्गत पार्क परिसर में अवस्थित 150 वर्ष पुराने जेल भवन का जिर्णोद्धार किया जाएगा। इस योजना अन्तर्गत भगवान बिरसा मुण्डा की पूरी जीवनी 3D तकनीक से प्रदर्शित की जायेगी। इस पार्क परिसर में ऐतिहासिक विरासत के साथ क्षेत्रीय संस्कृति की झांकी, पर्यटन विकास एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे।

बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क निर्माण योजना के अंतर्गत भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण, पुराने जेल भवन का जीर्णोद्धार, क्षेत्रीय विरासत को प्रदर्शित करने वाले दुश्य, पार्क एवं फूड कोर्ट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे, जिसमें आदिवासी संस्कृति प्रदर्शित करने हेतु ट्राइबल गैलरी, योग केन्द्र, युरेनियम एवं अन्य खनिज प्रदर्शन हेतु संग्रहालय, आदि का निर्माण किया जायेगा।

4. उक्त योजना हेतु M/s Infrastructure Development Corporation (Karnataka) Ltd. द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

Sl. No.	Componet Details	Amount
1	Entrance Building	5510776.36
2	Basement	299058620.6
3	Adaptive Reuse of Jail Building	11115839.74
4	Food Court	38156257.84
5	Tribal Huts & Tribal Pavilion	16695409.43
6	Retail Arcade	11537566.73
7	SPA & Yoga Center	4044141.27
8	Landscape Works	158569861.7
	Site Level	0
9	Site Level PHE	11862572.73
10	Site Level Electrical	7409476
11	Site Level F&F	9522987
12	Maintenance Block	3390751.33
13	Pedestrian Under Pass	11950043.31
14	UG Sump Civil Works	10787113.61
15	STP Civil Works	10603541.03
16	Boundary Wall	19141609.24
17	Nursery	15173956.88
18	Demolition of Existing Buildings	2632501.39
19	Cost of Building Equipments	359704810.8
	Total	1006867836.99
20	Add Labour Cess 1%	10068678.37
22	Add centage	52068678.37
	GRAND TOTAL	1069005193.73
	or Say	106,90,05,200.00

5. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

5.1 उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:-

मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-79- वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-48P221780796790679.

5.2 स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से की जाएगी, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। निकासी की गई राशि को सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) के द्वारा पी०एल० खाते में संधारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

5.3 योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत स्थापित सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा।

5.4 उपर्युक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि० को योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प संख्या 3201 वि० दिनांक 4 नवम्बर, 2016 के आलोक में अनुमान्य centage का भुगतान किया जाएगा।

5.5 बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क के निर्माण की अवधि 24 माह होगी।

5.6 उक्त के आलोक में राँची शहर में बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क निर्माण योजना, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रू० 106,90,05,200/- (एक सौ छह करोड़ नब्बे लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) है, के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. इसपर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। प्रधान सचिव के द्वारा मौखिक रूप से अनुमोदित।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**बी०पी०एल० दास,**

सरकार के विशेष सचिव।

-----